संख्या-22/2026/001-126-83-AV-2026

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा,
ए-1/4 लखनपुर, कानपुर।

अवस्थापना विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक:30 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत गीडा प्राधिकरण की 32 कार्ययोजनाओं हेतु प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि अर्थात द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक(वित्त), गीडा के पत्र संख्या- 1973/गीडा/वित्त-तीन/अटल मिशन/2026-27 दिनांक 03-07-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत रूपये 25.00 करोड़ से कम लागत के 32 कार्यो हेतु प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रूपये 160.00 लाख के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए स्वीकृत धनराशि की द्वितीय किश्त की मॉग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-2026/001-48-83-अव0-2026 दिनांक 31-03-2026 द्वारा अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट 600.00 करोड़ के सापेक्ष 25.00 करोड से कम लागत के 32 कार्य हेतु धनराशि रू0 22923.32 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 160.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति गीडा के पक्ष में निर्गत की गयी थी।

महाप्रबन्धक(वित्त), गीडा द्वारा प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि रूपये 160.00 लाख के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उक्त 32 कार्यो हेतु अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्क्चर मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट 2000 करोड़ से निम्नाकिंत तालिका के स्तम्भ-5 में प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि अर्थात द्वितीय किश्त के रूप में अनुमन्य शेष धनराशि रू0 115,50,93,000.00 (एक सौ पन्द्रह करोड़ पचास लाख तिरानवे हजार मात्र) की गीडा के पक्ष में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निवर्तन पर रखे जाने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

A) सिविल कार्य।

क्र0सं0	कार्य का नाम	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित लागत (रूपये लाख में)	प्रथम किश्त की धनराशि (रूपये लाख में)	प्रथम किश्त की अवशेष धनराशिअर्थात द्वितीय किश्त (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5
1	Construction of 09 M wide Road R-1, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	582.22	5.00	286.11
2	Construction of 09 M wide Road R-2, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	711.69	5.00	350.845
3	Construction of 09 M wide Road R-3, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	826.05	5.00	408.025
4	Construction of 09 M wide Road R-4, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	758.37	5.00	374.185
5	Construction of 09 M wide Road R-5, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	798.91	5.00	394.455
6	Construction of 09 M wide Road R-6, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	498.54	5.00	493.54
7	Construction of 09 M wide Road R-7, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	958.40	5.00	474.20

http://shasanadesh.up.gov.in

8	Construction of 12 M wide Road R-1, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	727.50	5.00	358.75
9	Construction of 12 M wide Road R-2, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	589.49	5.00	289.745
10	Construction of 12 M wide Road R-3, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	561.00	5.00	275.50
11	Construction of 12 M wide Road R-4, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	703.09	5.00	346.545
12	Construction of 18 M wide Road R-1, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	556.41	5.00	273.205
13	Construction of 18 M wide Road R-3, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	652.55	5.00	321.275
14	Construction of 18 M wide Road R-4, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	787.10	5.00	388.55
15	Construction of 60 M wide Road, Drain & Culverts in Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	1042.57	5.00	516.285
16	Construction of 30 M wide Road R-1, Drain & Culverts in Sector-26, GIDA, Gorakhpur.	661.83	5.00	325.915
17	Construction of 18 M wide Road R-4, Drain & Culverts in Sector-26, GIDA, Gorakhpur.	599.31	5.00	294.655
18	Construction of 18 M wide Road R-5, Drain & Culverts	534.26	5.00	262.13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	in Sector-26, GIDA, Gorakhpur.			
19	Construction of 18 M wide Road R-6, Drain & Culverts in Sector-26, GIDA, Gorakhpur.	644.45	5.00	317.225
20	Construction of 18 M wide Road R-8, Drain & Culverts in Sector-26, GIDA, Gorakhpur.	744.50	5.00	367.25
21	Widening of Road with centre verge and Interlocking work of 50 Mtr, 36 Mtr., 24 Mtr., 18 Mtr. Road in Sector-13 GIDA, Gorakhpur.	565.17	5.00	277.585
22	Construction of 12 M wide Road CH- 3.140 to 3.740 Drain & Culverts in Industrial Sector-27, GIDA, Gorakhpur.	551.70	5.00	270.85
23	Construction of 12 M wide Road CH- 2.540 to 3.140 Drain & Culverts in Industrial Sector-27, GIDA, Gorakhpur.	559.14	5.00	274.57
24	Construction of 18 M wide Road CH- 3.740 to 4.390 Drain & Culverts in Industrial Sector-27, GIDA, Gorakhpur.	871.93	5.00	430.965
25	Construction of 30 M wide Road, Drain & Culverts in Industrial Sector-27, GIDA, Gorakhpur.	1473.18	5.00	731.59
26	Construction of 60 M wide Road , CH- 0.00 to 9.50, Drain & Culverts in Sector-27, GIDA, Gorakhpur.	1050.63	5.00	520.315
27	Water Supply Scheme of Residential Area, Sector-11, GIDA, Gorakhpur.	612.34	5.00	301.17
28	Water Supply Scheme of Residential Area, Sector-25, GIDA, Gorakhpur.	714.95	5.00	352.475

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(B) विद्युत कार्य

क्र0सं0	कार्य का नाम	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित लागत (रूपये लाख में)	प्रथम किश्त की धनराशि (रूपये लाख में)	प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि अर्थात द्वितीय किश्त (रूपये लाख में)
1	सेक्टर-25 के ए.बी.सी. ब्लाक के आतंरिक विद्युतीकरण का कार्य। (H.T Network)	619.66	5.00	304.83
2	सेक्टर-25 के डी.ई.एफ ब्लाक के आतंरिक विद्युतीकरण का कार्य। (H.T Network)	522.85	5.00	256.425
3	सेक्टर-7/9 गीडा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।	731.94	5.00	360.97
4	सेक्टर-7/9 गीडा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को पोषित करने हेतु 33 के0वी0 विद्युत लाईन का निर्माण कार्य।	711.59	5.00	350.795

कुल (सिविल कार्य+ विद्युत कार्य)	**22923.32**	**160.00**	**11550.93**

(i) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित कर गीडा को उपलब्ध करायी जायेगी।
(ii) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेशों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) आवंटित धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।
(iv) कार्य कराने के पूर्व प्राक्कलनों की स्वीकृति विभाग के कार्यों के लिए लागू सक्षम स्तर से अनुमोदन सुनिश्चित किया जायेगा।
(v) स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31-03-2027 तक कोषागार, कानपुर नगर से आहरित कर लिया जाय तथा जिन वाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाय उसकी सूचना शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को भेजी जाय।
(vi) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण गीडा की मॉग के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, यूपीसीडा कानपुर द्वारा किया जायेगा।
(vii) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(viii) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
(ix) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का आहरण कर बैंक खातों में नहीं रखा जायेगा।
(x) प्राधिकरण द्वारा लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्ते् माल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(xi) प्रायोजनान्तार्गत प्रस्त़ावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छा्दित किया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,15,50,93,000 (रुपये एक अरब पन्द्रह करोड़ पचास लाख तिरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 4875608000300 अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च,2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 22/2026/001-126-83-AV-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, अपर मुख्यय सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- निजी सचिव, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निजी सचिव, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

6- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।

7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा।

9-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

10- आहरण वितरण अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।

11- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर।

12- वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

13- आहरण वितरण अधिकारी, कार्यालय आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर।

14- सुपरयूजर, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

15- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव।

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।